APP-A
Crime-I

FORM N0. III

फर्द अहकाम
(नियम–26)

अज अदालत संभागीय आयुक्त मुकाम अजमेर

लाला उर्फ रणजीत गोद बनाम गीता व अन्य

किस्म मुकदमा/अपील /एलआर–75/नं0/2022/117 जिला अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपी0 अधि0 : – श्री मदनपुरी गोस्वामी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.03.2022	पत्रावली बाद पेश हुई। अपील में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम पेश किया गया है। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम को रिजर्व रखते हुऐ पत्रावली **Subject to Limitation** दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी हो तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब हो। पत्रावली दिनांक 25-04-22 को पेश हो। संभागीय आयुक्त अजमेर	3112-13 28-3-22 3114 28-3-22
25/4/22	पत्रा.पेश हुई। अपीलान्ट व रेस्पो.संख्या........ के अभिभाषक उपस्थित। पी.ओ. सा. अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक 20/6/22 को पेश हो।	
10-05-22	अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र/अपील विड्रो के प्रार्थना पत्र के आधार पर पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 20.06.2022 को नियत है। अपीलार्थी के अभिभाषक को अपील विड्रो के प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा कमोबेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि इस प्रकरण मे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य आपसी समझाईश से राजीनामा हो चुका है। अपील को आगे नही चलाने का निर्णय लिये जाने के कारण अपील विड्रो किया जाना न्यायोचित है। अन्त में उनके द्वारा अपील विड्रो के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को विड्रो किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने बाबत् निवेदन किया गया। अतः प्रार्थीगण/अपीलान्ट अभिभाषक के निवेदन पर उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते अपील विड्रो किये जाने का स्वीकार किया जाता है तथा अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। संभागीय आयुक्त अजमेर	

Scanned with CamScanner